

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

फैक्स/ई-मेल

पटना, दिनांक / /2018

संख्या-3/विविध-01-20/2014-

/स्वा0, डा0 सतीश कुमार

सिन्हा, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा-सह प्रभारी सिविल सर्जन, भोजपुर आरा को बिहार कोषागार संहिता संशोधन, 2011 के नियम 84 के तहत सिविल सर्जन कार्यालय, भोजपुर, आरा का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

2. सिविल सर्जन, भोजपुर, आरा के नियमित पदस्थापन होने के बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0 / -

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/विविध-01-20/2014- 421(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 14/6/2018
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/जिलाधिकारी, भोजपुर, आरा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/ डा0 सतीश कुमार सिन्हा, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा-सह प्रभारी सिविल सर्जन, भोजपुर आरा / कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 7, 8, 9,10 एवं 12/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी
अंजय